



2026:AHC:175555

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी. एन. एस. एस के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 6772 वर्ष 2026

सुरेश एवं एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शिव बाबू दुबे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 479 वर्ष 2013, धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना सिविल लाइन, जनपद मेरठ में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दाखिल किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उन्हें आशंका है कि उपर्युक्त मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि उनके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि अभी तक आवेदकगण के विरुद्ध कोई दमनात्मक प्रक्रिया जारी नहीं की गई है। इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2013 में अंकित की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ प्रकरण का अभिलेख राजस्व न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा अभिलेखागार, मेरठ को भेज दिया गया था और उसके पश्चात अभिलेख में कूटरचना/छेड़छाड़ की गई। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथमिकी में आवेदकगण का नाम नहीं है और कई वर्षों तक आवेदकगण की कोई संलिप्तता प्रदर्शित नहीं की गई। वर्ष 2026 में जब पुलिस ने आवेदकगण को पकड़ने का प्रयास किया, तब उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया, जिसमें पहली बार आवेदकगण को ज्ञात हुआ कि उपर्युक्त मामले में उनकी तलाश है। मामले के तथ्यों का संदर्भ देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। दोनों आवेदकगण के विरुद्ध चार प्रकरण का आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है, जिसे विधिवत स्पष्ट किया गया है। आवेदकगण विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और विवेचना अभिकरण या न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विवेचना के दौरान सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है, तथापि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया है।

5. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

6. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं एक अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से भागने की संभावना, जैसे देश छोड़ देना आदि, पर विचार करना होगा। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा उसे अस्वीकार किया जाए, इस पर विचार करते समय सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को अधिरोपित भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। प्रदान करना है या नहीं, यह विवेक का विषय है।

7. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षा में विवेचना आवश्यक हो जाती है या यह कोई जघन्य अपराध हो अथवा जहां साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त फरार हो सकता हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह विधिसम्मत है, यह अनिवार्य नहीं करता कि गिरफ्तारी की जानी ही चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अकल्पनीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचक के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार होगा या समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में उसने पूरे समय विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

8. अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदकगण की भूमिका तथा मामले के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त मामले में सम्मिलित आवेदक- सुरेश एवं सुरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, यदि वे थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के दो-दो जमानतदारों के साथ रु.50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करते हैं;

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचक के साथ सहयोग करेंगे तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजन से जब भी अपेक्षित किया जाएगा, विवेचक के समक्ष उपस्थित होंगे;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. किसी भी शर्त के उल्लंघन या दुरुपयोग की स्थिति में, शासकीय अधिवक्ता/विवेचक/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदकगण को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 अगस्त, 2026

नितेन्द्र

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।